03/07/2021. पत्रावली पेश। वकील अभि पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। पत्रावली पर उप लब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 1 to 4. ने अपने जवाब में अंकित किया गया है कि विवादित आराजी जु प्रवाद से पूर्व विपक्षी सं. 1 to 4 के पिता लाल के ओवरान की जा रही थी जिसके बाद विपक्षीगण का विरासतन प्राप्त हुई थी प्रार्थीगण का इस आराजी कोई लेनदेन नहीं थी न ही

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 11:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | → किसी प्रकार का कब्जा प्रार्थी का है व विपक्षीगण सम्पूर्ण आमदनी का कब्जा व तथा विपक्षीगण रिकॉर्ड खातेदारी जिनको अन्यार्थ विपक्षीगण ले जा कब्ज नहीं किया जा सकता प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति नहीं है प्रार्थी केवल मात्र विपक्षीगण को परेशान करना चाहते हैं अतः प्रा.प. 212 स्वीकार करना चाहिये<br>वकील प्रार्थी ने प्रा.प. का वर्णित तथ्यों का दोहराया।<br>पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रकरणगत आराजी विपक्षी सं 1 से 4 के पिता प्रकाश को आवंटित हुई है जिसमें प्रार्थी का हक अधिकार निहीत नहीं था प्रकरण है जिसका निर्धारण भी मूल वाद में तय होगा वर्तमान में प्रार्थी का किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति कायम नहीं है सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा.प. 212 RTA स्वीकार किया जाता है। विद्वान न्यायालय Civil जज सुनवाई उपरान्त पत्रावली पेशल हुक्म होकर लेख कर दिया जाय।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सदर, सिरोही | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 11:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner